I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

# FIRST INFORMATION REPORT
**(Under Section 173 B.N.S.S)**

## प्रथम खबर अहवाल
**(बी एन एस एस संहिताच्या कलम 173 अन्वये)**

1. **District (जिल्हा):** चंद्रपुर **P.S. (पोलीस ठाणे):** राजुरा **Year (वर्ष):** 2025

**FIR No. (प्रथम खबर क्र.):** 0080 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 22/02/2025 06:49 वाजता

2.

| S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ | 12 |
| 2 | भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ | 7A |

3. (a) **Occurrence of offence(गुन्ह्याची घटना):**

1 **Day (दिवस):** शुक्रवार **Date from (दिनांक पासून):** 21/02/2025 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 21/02/2025

**Time Period (कालावधी):** प्रहर ८ **Time From (वेळेपासून):** 21:19 तास **Time To (वेळेपर्यंत):** 21:24 तास

(b) **Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा):** **Date (दिनांक):** 22/02/2025 **Time (वेळ):** 05:30 तास

(c) **General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ):** **Entry No. (नोंद क्र.):** 008 **Date and Time (दिनांक आणि वेळ):** 22/02/2025 06:49 तास

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (पोलिस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर):** दक्षिण, 20 कि.मी. **Beat No. (बीट क्र.):**

**(b) Address (पत्ता):** राजुरा ते आसीफाबाद रोड, आरटीओ चेक पोष्ट लक्कडकोट, लक्कडकोट आरटीओ चेक पोष्ट,राजुरा

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):**

**District (State) (जिल्हा (राज्य)):**

**6. Complainant / Informant (तक्रारदार / माहिती देणारा):**

**(a) Name (नाव):** मोसीन मोबीम शेख

**(b) Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतीचे नाव):**

**(c) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष):** 1995 **(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

**(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

**(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):**

**Date of Issue (दिल्याची तारीख ):** **Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):**

**(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (अ.क्र.) | ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार) | ID Number (ओळखपत्र क्रमांक) |
|---|---|---|

**(h) Occupation (व्यवसाय):**

**(i) Address (पत्ता):**

| S.No. (अ.क्र.) | Address Type (पत्ता प्रकार) | Address (पत्ता):: |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | ताडीगुडा आदिलाबाद, आदिलाबाद, ADILABAD RURAL, ADILABAD, तेलंगाना, भारत |
| 2 | स्थायी पता | ताडीगुडा आदिलाबाद, आदिलाबाद, ADILABAD RURAL, ADILABAD, तेलंगाना, भारत |

**(j) Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल क्र.):** 91-8688236389

**7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):**

**Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या):** 0

| S. No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address(वर्तमान (पत्ता)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिवाजी मच्छीद्र विभुते | | | 1. वरध रेसीडेन्सी हनुंमान नगर,Town/Village (शहर / गाव): तुकूम चंद्रपुर,Tehsil (तहसील): चंद्रपुर,Police Station (पोलीस ठाणे): राजुरा,District (जिल्हा): चंद्रपुर,State (राज्य): महाराष्ट्र,भारत |
| 2 | जगदीश आनंद डफडे | | | 1. कुंदन प्लाझा हॉटेल जवळ,Town/Village (शहर / गाव): चंद्रपुर,Tehsil (तहसील): चंद्रपुर,Police Station (पोलीस ठाणे): राजुरा,District (जिल्हा): चंद्रपुर,State (राज्य): महाराष्ट्र,भारत |

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant ( तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे ):**

पोलीस स्टेशन ला येताच लागलीच

**9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

| S. No. (अ.क्र.) | Propertty Category (मालमत्ता वर्ग) | Property Type (मालमत्ता प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) मुल्य (रु. मध्ये) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नाणे आणि चलन | भारतीय- रुपया | 100रूपयाचे तीन नोटा व 200रूपयाची एक नोट आरोपी क्र.2याचेकडुन | 500.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | नाणे आणि चलन | भारतीय- रुपया | आरटीओ चेक पोष्ट लक्कडकोट येथील ऑफीस मधील टेबलचे ड्राव्हर मधुन नगदी | 56,100.00 |

10. **Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये) :** 56,600.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):**

| **S. No. (अ.क्र.)** | **UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)** |
|---|---|

12. **First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):**

फिर्याद

कॅम्प - पोलीस स्टेशन राजुरा, जि.चंद्रपुर
तारीख - 22/02/2025

शेख मोहसीन शेख मोबीन, वय 30 वर्ष, धंदा - ट्रक मालक, ट्रान्सपोर्ट, पत्ता - 3/5/55, ताटीगुडा, ता. जि. - आदीलाबाद, तेलंगाना मो.न. 8688236389.

मैने तारीख 21/02/2025 को ॲन्टी करप्शन ब्युरो अमरावती यहां खुद आकार लिखकर शिकायत दि थी की, मै उपर लिखे पत्ते पर मेरे परिवार के साथ रहता हू, मेरे खुद की 04 मालवाहू गाडीयॉ है, मेरी साई ट्रान्सपोर्ट नाम से कंपनी है, उससे मै मेरे परिवार का गुजारा करता हू.

मेरी गाडीया तेलंगना से छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र इस राज्य में चलती है, आसीफाबाद से चंद्रपुर रोड पर चंद्रपुर जिल्हा मे लक्कडकोट गाव के पास महाराष्ट्र और तेलगांना बॉर्डर पर आर. टी. ओ. विभाग का चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट पर हमेशा मेरी गाडीयो का आना जाना रहता है। वहा आर. टी. ओ. विभाग के अधिकारी और उन्होंने रखे निजी ऐंजट हमेशा बेवजह मेरे सभी गाडीयो के कागजात देखते है, और मेरे गाडी के पुरे कागजात बराबर है, गाडी अंडरलोड होती है, मेरे गाडीपर कौनसा भी टैक्स और चलन पेंडीग नही है उसके बावजूद भी एन्ट्री फी के नाम से 500/-रू. रिश्वत लेते है, रिश्वत नही दिये तो गाडीया नही छोडते, पैसे लेने के बाद किसी प्रकार की कोई कानूनी रसिद नही देते.

आज मेरी ट्रक नंबर टी.जी. 01 टी. 0991 इस गाडी में मैने कागजनगर से कस्टमर के ईट का भाडा लेकर उसे राजुरा में छोडने के लिये जा रहा हँ और मेरी गाडी मैने महाराष्ट्र- तेलंगना बॉर्डर पे लाकर खडी रखी है. और आज भी मे मैरी गाडी लक्कडकोट के चेक पोस्ट से लेकर जाते समय मुझे वहाके आर. टी. ओ. विभाग के अधिकारी और उनके निजि ऐंजट 500 रूपये रिश्वत लीये बिना मुझे छाडेंगे नही और हर बार चेक पोस्ट पर आर. टी. ओ. विभाग के अधिकारी और उनके निजी ऐंजट अलग अलग होते है इसलीये मुझे उनका नाम पता नही है. लेकीन मेरी आर. टी. ओ. विभाग के अधिकारी और उनके निजी ऐंजट को रिश्वत देने की इच्छा नही है, इसलिऐ उन लोगोपर ॲन्टी

करप्शन विभाग की औरसे कारवाई के लिऐ मै अपना रिपोर्ट दे रहा हू. उन लोगोंसे मेरी किसी भी प्रकार की दुश्मनी या आर्थीक लेन देन का व्यवहार नही है. इसलिये उनपर कानुनी करवाई की जाये ये मेरी आपसे विनंती है. ऐसी लिखीत शिकायत मैने दी थी।

उसके बाद श्री. डी. वाय. एस. पी. मंगेश मोहोड साहब ने श्री. संत गाडगेबाबा शासकीय औद्योगिक प्रक्षिशण संस्था, अमरावती के दो शासकीय अधिकारी पंच कहकर बुलाऐ उनके नाम 1) श्री. निलेश रोंघे और 2)श्री. विनोद नागोलकर थे. उन दोनो का मुझे परिचय दिया गया और उन लोगोंको मेरा परिचय देकर मेरी लिखीत शिकायत दिखाई गयी और उन लोगोने मुझे शिकायत के बारेमें पुछताच की, और बताया की ता. 21/02/2025 को लक्कडकोट आरटीओ चेक पोस्ट, चंद्रपुर जाकर आरटिओ के अधिकारी व निजी ऐंजट इनकी रिश्वत की मांग है की नही इस बारेमें हमे पडताळणी करनी है, ऐसा बोल के, सापळा पथक, दोनो पचं और मै ऐसे हम सब खाजगी चारचाकी गाडीओ से अमरावती से चांदुर रेल्वे, बाभुळगाव, वनी के रास्ते से लक्कडकोट चेक पोस्ट से आगे अंदाजन 03 किलोमिटर महाराष्ट्र- तेलंगना बॉर्डर पर पहुच गये वहा पर मेरा ट्रक टी.जी. 01 टी. 0991 खडा था. उसकेबाद मेरी ट्रक मे मै, शासकीय पंच और सापळा पथक के लोग बैठे. फिर हम लोग मेरी ट्रक से लक्कडकोट आरटिओ चेक पोस्ट के तरफ गये, चेक पोस्ट के अंदाज 100 मिटर पहिले गाडीका वजन काटा किया, फिर हमने गाडी रस्तेपे साईड मै खडी कर दी, उसके बाद श्री.मोहोड साहब के सुचनापर पो.कॉ.जायले उन्होने मेरेपास व्हाईस रेकॉर्डर चालू करके दिया. और मुझे, पंच क्र.1श्री. रोंघे के साथ लक्कडकोट आरटीओ चेक नाका के आरटिओ के अधिकारी और निजी ऐंजट की पडताळणी के लिये पैदल भेज दिया.

उस समय आरटिओ चेक नाका की कॅबीन मै एक कर्मचारी और उनके बाजू मै जर्कीन और खाकी कलर का पॅन्ट पहने हूऐ आरटिओ के साहब बैठे थे. उस समय केबीन मै बैठे कर्मचारी से मेरी बात हूई उन्होने मुझे गाडी की एन्टी फी पाचसो रुपये बोला मेने उनको बोला की, मेरे सब कागजात बराबर है. फिर भी एन्टी मांग रहे सर ऐसा बोला उसपर उन्होंने मुझे पाचसौ रूपये देने पडेंगे ऐसो बोला. मैने कहा की, पाकीट गाडीमे है मै लेकर आता हू. ऐसा बोलकर मै और पंच क्र.1 श्री. रोंघे वहासे पैदल पैदल गाडीके पास आ गये तो उस समय मेरेपास का व्हाईस रेकॉर्डर निकालके बंद किया. फिर श्री. मोहोड साहेब ने और दोनो पंचोने मेरे और निजी ऐंजट की, आरटिओ साहब के सामने हूयेवाली बातचित की रेकॉर्डीग सुनी और हमसभी यह यकीन हो गया की, निजी एंजट ने आरटिओ साहब के सामने मेरी गाडी को, लक्कडकोट चेक नाका पास करने के लिये एन्ट्री के नाम पर 500/-रू रिश्वत मांगी है.

उसके बाद मोहोड साहबने मुझे और दोनो पंच को बताया की, अभी इसी समय आरटिओ चेक नाक के अधिकारी और निजी ऐजंट पर हम सापळा कारवाई करने वाले है. इसलिए उन्होने मुझे कहा की, रिश्वत देणे के लिए 500/- रुपये हाजीर किजीये. तो मैने मैने मेरे पास के 100/- रुपये की तीन नोट और 200/- रूपये की एक नोट कुल 500/- रुपये दिये. उसके बाद सब नोट को पावडर लगाके प्रात्यक्षिक करके पंच और हम सभी को दिखाया गया. यह सापळा पुर्व कारवाई मेरे ट्रक के केबीन मे पुरी की गई.

उसके बाद मोहोड साहब के सुचनापर रिश्वत की रक्कम 500/-रू. पो.कॉ.जायले ने मेरे पॅन्ट के सामाने वाले बाये जेब रखे और व्हाईस रेकॉर्डर सुरु करके मुझे दिया, फिर मेरे पास रेकॉर्डर सुरु

करके मुझे और पंच क्र.1.श्री. रोंघे को पैदल रवाना किया. और सापळा पार्टी के लोग छिपकर हमारे आजूबाजू मै आकर खडे हो गये. मुझे निजि ऐजंट रिश्वत के पैसे मांगनेपर पर मैने पैसे निकालकर दिये और रिश्वत की रक्कम लेने का नियोजित ईशारा किया. उसी समय मोहोड साहेब और पंच क्र.2 नागोलकर, व सापळा पथक के सभी उस जगा आये और आरटिओ लक्कडकोट चेक नाका के अधिकारी और निजी ऐंजट को दोनो पंच और हमसभी का परिचय दिया. लक्कडकोट आरटिओ चेक नाका के आरटिओ अधिकारी के डयुटी के समय मुझे जिसने रिश्वत मांगी थी उन्हे और निजी ऐजंट को उनका नाम, पद, और पता पुछा तो उन्होने बताया की, 1.श्री. शिवाजी मच्छिंद्र विभुते, वय 35 वर्ष, पद - सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, आरटिओ चेक नाका, लक्कडकोट रा. वरद रेसीडेन्सी, हनुमान नगर, तुकुम, चंद्रपुर और 2.श्री.जगदीश आनंद डफडे, वय 30 वर्ष, रा. कुदन प्लाझा जवळ, वडगाव चौक, चंद्रपुर ऐसा बताया उसके बाद पंच क्र.1 को पुछा की, श्री. डफडे ने रिश्वत की रक्कम कहा रखी है, तो पंच क्र.1 ने बताया की, श्री. डफडे ने तक्रारदार इनसे 500/- रुपये लेकर रिश्वत की रक्कम टेबलपर रखी है. फिर पंचो की मदत से वह 500/- रुपये रिश्वत की रक्कम हस्तगत की गई और निजी ऐंजट और आर.टि.ओ ऑफीसर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकडा औरे रिश्वत की रक्कम गुन्हे तपास हेतू जप्त कर लिया गया, उसके बाद मोहोड साहेब ने निजी एजंट के टेबल के ड्रॉवर की तलाशी ली गई तो टेबल के ड्रॉवर में कुल 56,100/- रूपये नगदी मिले उसके बारे में 1.श्री. शिवाजी मच्छिंद्र विभुते, पद - सहायक मोटार वाहन निरीक्षक और निजी एजंट श्री.जगदीश आनंद डफडे से पुछताछ की तो उन्होंने कोई भी सही और कानुनन हिसाब बताया नही इसलिये 56,100/- रू रक्कम माहोड साहेब ने तपास हेतू जप्त कर ली. उसेकबाद पुरे कारवाई का पंचनामा बनाया गया.

इसी तरह मैने ता. 21/02/2025 को दिये हूये रीपोर्ट पर तारीख 21/02/2025 को किये हूये पडताळणी कारवाई मे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक श्री. शिवाजी विभुते साहब ने उनके खुद के डयुटी के समय उन्होने निजी एजंट श्री. जगदीश डफडे को लक्कडकोट आर. टी. ओ. चेक पोस्ट में प्रवेश देकर लक्कडकोट चेक पोस्ट पर मेरे ट्रक टी.जी. 01 टी. 0991 को एन्ट्रीके नामपर 500/- रुपये रिश्वत मांगने के लिये सब सुविधा उपलब्ध करके देकर प्रोत्साहीत किया और तारीख 21/02/2025 को निजी एजंट श्री. जगदीश डफडे ने 21/19 से 21/24 बजे के दौरान पंचके सामान 500/- रू रिश्वत रक्कम ली उसी समय उन्हे रंगेहाथ पकड लिया. इसलीये आरोपी लोकसेवक 1.श्री. शिवाजी मच्छिंद्र विभुते, वय 35 वर्ष, पद - सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, आरटिओ चेक नाका, लक्कडकोट रा. वरद रेसीडेन्सी, हनुमान नगर, तुकुम, चंद्रपुर और 2. श्री.जगदीश आनंद डफडे, वय 30 वर्ष, रा. कुदन प्लाझा जवळ, वडगाव चौक, चंद्रपुर इन दोनो के उपर कायदेशिर कारवाई के लिऐ मै अपनी रिपोर्ट दे रहा हू.

मैने उपर दिई हूई रिपोर्ट लॅपटॉप पे टाईप की, मुझे पढकर सुनाई, घटी हूई घटनाक्रम के नुसार बरोबर और सच है.

सही.

समक्ष
मंगेश मोहोड

पोलीस उप- अधिक्षक
अॅन्टी करप्शन ब्युरो अमरावती

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
**(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध दिसून आल्यामुळे):**

**(1)** **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):** **or (किंवा):**

**(2)** **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):** PANDURANG DATTRAO HAKE **Rank (हुद्दा):** पोलीस उपनिरीक्षक

**No. (क्र.):** PSI **to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

**(3)** **Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):**
**or (किंवा)**

**(4)** **Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):**

**District (जिल्हा):** **on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली)**

**R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)**

**Name (नाव):** ANIKET DNYANESHWAR HIRDE

**Rank (हुद्दा):** I (Inspector)

**No. (क्र.):** IPS

**14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)**

**15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):**

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र)**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )**
**(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल् या/पाहिलेल् या) शारीरिक वैशिष् टये, व् यंग आणि इतर तपशील)**

| S. No. (अ.क्र) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन् मतारीख वर्ष) | Build (बांधा) | Height (cms) (उंची(से ं.मी) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (ओळखीच् या खुणा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | 1990 | | - | | **चेचक:** क्र. |
| 2 | पुरुष | 1995 | | - | | **चेचक:** क्र. |

| Deformities / Peculiarities (व् यंग वैशिष् टये) | Teeth (दात) | Hair (केस) | Eye (डोळे) | Habit(s) (सवयी) | Dress Habit (s) (पोषाखाच् या सवयी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (चे ठिकाण) | | | | | Others (इतर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (भाजल् याच् खुणा) | Leucoderma (कोड) | Mole (तिळ) | Scar (व्रण) | Tattoo (गोदण) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**
**(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त् यापेक्षा अधिक तपशील दिल् यास फक् त यातील रकान् यांची नोंद घेतली जाईल)**